

प्राचार्य की कलम से



किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास एवं उत्थान इस बात पर निर्भर करता है कि उस राष्ट्र की युवा शक्ति के कदम किस ओर बढ़ रहे हैं। यदि युवा शक्ति सही मार्गदर्शन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाज और राष्ट्र को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए कठिबद्ध है तो उस राष्ट्र को विकासोन्मुख होने से कोई नहीं रोक सकता। युवा शक्ति को सही दिशा-निर्देश देने का उत्तरदायित्व महाविद्यालयों से जुड़े हुए सभी शिक्षकों का होता है। सनातन धर्म महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर जनपद का बहुत ही प्रतिष्ठित अग्रणी शिक्षण संस्थान है। यह महाविद्यालय एक ऐसी समर्पित संस्था है जो छात्र-छात्राओं को सहनशील, गुणवान्, उत्तरदायी और क्रियाशील बनाने में लगभग 70 वर्षों से भी अधिक समय से शिक्षा जगत में अपना प्रभुत्व स्थापित किये हुए है। शैक्षणिक स्तर में शनैः शनैः वृद्धि इसका प्रमाण है। बी०ए०, बी०कॉम०, बी०एस-सी० (बायो०, गणित, साख्यिकी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन व गृह विज्ञान), एम०ए० (अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी, इतिहास, संस्कृत, भूगोल व गणित), एम०एस-सी० (भौतिकी, रसायन, जन्तुविज्ञान व गणित), एम०कॉम०, पी-एच०डी० इत्यादि की शिक्षा प्रबुद्ध शिक्षकों के द्वारा दी जाती है। जिनमें अधिसंख्य शिक्षक अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्य में रत रहकर शोध लेख प्रकाशित कर छात्रों को नई से नई जानकारी व शिक्षा देने का अथक प्रयास करते रहते हैं। महाविद्यालय स्तर पर छात्र/छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल करने के लिए कई समितियाँ व प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं। जिनके सम्पर्क में आने से छात्र प्रतियोगी जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयारी करते हैं। नारी शिक्षा व नारी की दशा के उत्थान के लिए महाविद्यालय के सभी शिक्षक समय-समय पर विचार गोष्ठी, वाद-विवाद प्रतियोगिता अन्य कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। महाविद्यालय की खेल-कूद प्रतियोगिताओं में छात्राओं की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि छात्राओं की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा है जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। महाविद्यालय के कई छात्र/छात्रायें गत कई वर्षों से विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय स्तर की टीमों में स्थान प्राप्त करते रहे हैं। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट गाइड व एन०सी०सी० इत्यादि की गतिविधियाँ भी सुचारू रूप से चल रही हैं जिनमें छात्र-छात्राएँ उत्साहपूर्वक भाग लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। महाविद्यालय NAAC के प्रति भी सचेत है तथा शीघ्र ही NAAC के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है।

महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति महाविद्यालय के विकास में अपना पूर्ण एवं सक्रिय सहयोग प्रदान कर रही है। माननीय सचिव श्री अखिलेश दत्त के अथक प्रयासों से स्वः वित्त पोषित योजना में बी०कॉम० के दो अतिरिक्त सैक्षण तथा एम०एस-सी० (गृह विज्ञान), फूड एण्ड न्यूट्रीशन में एक सैक्षण, क्लोदिंग एवं टैक्सटाइल में एक सैक्षण तथा बी०पी०एड० में एक सैक्षण संचालित हो चुके हैं।

मैं नये सत्र में सभी छात्र-छात्राओं को उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएँ प्रदान करता हूँ।

डॉ० एस०सी० वार्ष्ण्य
प्राचार्य

1. महाविद्यालय का परिचय

सरस्वती का पावन मंदिर सनातन धर्म महाविद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अग्रणी शिक्षण संस्था है। चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध यह पंजीकृत संस्था एस०डी० कॉलेज एसोसिएशन द्वारा संचालित है, जिसके तत्त्वावधान में अनेक शैक्षणिक, तकनीकी एवं समाज कल्याणकारी संस्थाएँ फल-फूल रही हैं। इस महाविद्यालय का गौरवशाली इतिहास तथा प्रभावशाली वर्तमान है। इस महाविद्यालय के विकास की उन्नतिशील परम्परा है तथा महत्वाकांक्षी भावी योजनाएँ हैं।

विद्यालय की स्थापना श्री औंकार प्रसाद बिसारिया द्वारा 1909 ई० में की गयी थी और 1915 ई० में यह मुजफ्फर नगर जिले का प्रथम सहायता प्राप्त हाईस्कूल बना। तभी से निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए 1948 में यह स्नातक महाविद्यालय और 1955 में परास्नातक महाविद्यालय बना और आज इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के लगभग सभी विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएँ चल रही हैं। साथ ही साथ महाविद्यालय में बी०एस-सी० गृह विज्ञान, बी०एस-सी० कम्प्यूटर एप्लीकेशन की कक्षाएँ भी चल रही हैं। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का अध्ययन केन्द्र भी इस महाविद्यालय में स्थापित हो चुका है। वर्तमान में इस महाविद्यालय में 4 हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसका वर्तमान परिसर लगभग 22.07 एकड़ भूमि में फैला हुआ है; जिसमें पर्याप्त व्याख्यान कक्ष, सुसज्जित प्रयोगशालाएँ, वृहद् पुस्तकालय, विशाल कार्यालय भवन, शिक्षक निवास, विशाल प्रेक्षागृह, संग्रहालय, हरित क्रीड़ा-स्थल, आकर्षक मुख्य द्वार, बैंक, डिस्पैसरी तथा प्रसार सेवाओं के लिये भवन आदि स्थित हैं।

सनातन धर्म महाविद्यालय आज जिस गौरव और प्रतिष्ठा को पा सका है उसका श्रेय महाविद्यालय से जुड़े कुछ दिवंगत महापुरुषों की लगन, कर्मठता तथा निःस्वार्थ सेवा को जाता है। इस महाविद्यालय का प्रबन्धन एक प्रभावशाली 16 सदस्यीय कार्यकारिणी द्वारा किया जा रहा है जो महाविद्यालय की निरन्तर प्रगति के लिए दृढ़ संकल्प है।

2. महाविद्यालय में पाठ्येतर सुविधाएँ

1. **शारीरिक शिक्षा**—कॉलेज के शारीरिक शिक्षा विभाग में अनेक सुविधाएँ उपलब्ध हैं जिसमें शारीरिक शिक्षा के प्रोफेसर की देख-रेख में महाविद्यालय के प्रांगण में खेलकूद की गतिविधियाँ व प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। सुव्यवस्थित क्रीड़ा प्रांगण में 400 मीटर का स्थायी दौड़ मार्ग (रनिंग ट्रैक), क्रिकेट-पिच, फुटबाल, हॉकी, वालीबाल, कबड्डी, बास्केट बाल और टेनिस के मैदान हैं। टेबिल टेनिस और इन्डोर बैडमिन्टन की पृथक् व्यवस्था है, जिसमें सतत् अभ्यास चलता है।

2. **छात्र/छात्रा कल्याण परिषद्**—विद्यार्थियों के सामान्य कल्याण और उनकी समस्याओं के लिए एक प्रोफेसर छात्र कल्याण अधिष्ठाता के रूप में कार्य करते हैं। इनका काम छात्रों की सामान्य समस्याओं का निराकरण करना है। इनके तत्त्वावधान में छात्र कल्याण परिषद् भी कार्यरत है। प्रत्येक संकाय की प्रत्येक कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इस परिषद् के सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त एन.सी.सी., खेलकूद, शोध-कार्य, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद् तथा जनरल जोरावर सिंह क्र्यू के प्रतिनिधि विद्यार्थी इस परिषद् में सदस्य के रूप में नामांकित किये जाते हैं।

3. **अनुशासन**—विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय परिसर में अनुशासित रहना अनिवार्य होगा। अनुशासनहीन अर्थात् नियम विरुद्ध आचरण करने वाले विद्यार्थियों पर विशेष निगरानी के लिये मुख्य अनुशासक (चीफ प्रोफेसर) के निर्देशन में एक अनुशासक मण्डल निरन्तर कार्यरत होगा।

4. **कैरियर काउन्सलिंग एण्ड प्लेसमेंट सैल**—विद्यार्थियों को रोजगार सम्बन्धी सूचनाएँ देने के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मंत्रणा एवं निर्देशन देने हेतु महाविद्यालय में एक रोजगार सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र स्थापित है।

5. **अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए (क्रीमीलेयर छोड़कर) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय में NET/SET की परीक्षाओं व विभिन्न सेवाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं के मार्गदर्शन व कोचिंग के लिए प्रकोष्ठ संचालित है।**

6. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) अध्ययन केन्द्र (संख्या 2749)—महाविद्यालय में इग्नू अध्ययन केन्द्र की स्थापना जनवरी 2000 में हुई। इस केन्द्र पर एम.बी.ए., पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट के लिये 28 अध्ययन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

7. एन.सी.सी.—बी.ए., बी.एस—सी. तथा बी.कॉम. प्रथम वर्ष के सभी छात्र व छात्राएँ एन.सी.सी. में प्रवेश पा सकते हैं। इन कक्षाओं के द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्र/छात्राएँ, जिन्होंने पहले एन.सी.सी. का प्रशिक्षण पूरा किया है तथा जिन्हें एन.सी.सी. छोड़े 18 महीने से अधिक नहीं हुए हैं, वे भी एन.सी.सी. में प्रवेश ले सकते हैं। एम.ए./एम.एस—सी./एम.कॉम. के छात्र व छात्राओं को एन.सी.सी. में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश से सम्बन्धित सूचना के लिए एन.सी.सी. का सूचना पट्ट देखते रहें।

8. कॉलेज सप्ताह—विद्यार्थियों की सांस्कृतिक एवं सृजनात्मक प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सम्बन्धी गतिविधियों का सप्ताह आयोजित करता है, जिसमें वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त वाद—विवाद प्रतियोगिता, विभिन्न स्मृति व्याख्यान मालाएँ, कविता प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के आयोजन किये जाते हैं। गणतन्त्र दिवस से प्रारम्भ इस सप्ताह का समापन वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह से होता है जिसमें महाविद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में विशिष्ट योग्यता एवं स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है।

9. शैक्षिक परिषदें—महाविद्यालय में सम्बन्धित विभागाध्यक्षों की देखरेख में काम करने वाली विभिन्न विषयों की शैक्षिक परिषदें भी हैं। इन परिषदों के तत्त्वावधान में वाद—विवाद प्रतियोगिताएँ, निबन्ध प्रतियोगिताएँ, विचार गोष्ठियाँ, भाषण प्रतियोगिताएँ, वन विहार एवं यात्राएँ आदि आयोजित की जाती हैं।

10. प्रतियोगी परीक्षार्थियों का प्रशिक्षण—समाज के निर्बल वर्ग से सम्बन्धित छात्र—छात्राओं की सुविधा के लिए अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

11. महाविद्यालय पत्रिका—विद्यार्थियों के मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए 'कौमुदी' नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में किया जाता है। 'कौमुदी' को महाविद्यालय के अनुरूप स्तरीय बनाने के लिए एक पत्रिका—समिति का गठन किया जाता है। पत्रिका—समिति समय—समय पर इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों की प्रतियोगिताएँ भी कराती हैं।

12. साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद—विद्यार्थियों की बहुमुखी प्रतिभा के विकास के लिए महाविद्यालय के एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद् कार्य करती है जो महाविद्यालय में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन इस परिषद् की देख—रेख में करती है।

13. छात्र शिकायत समाधान प्रकोष्ठ—महाविद्यालय में एक शिकायत प्रकोष्ठ है जो महाविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की समस्याओं के निदान हेतु गठित किया गया है।

14. महाविद्यालय विकास परिषद—महाविद्यालय के भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि की देखरेख, रख—रखाव तथा विकास हेतु एक महाविद्यालय विकास परिषद् कार्यरत है।

15. कम्प्यूटर केन्द्र—इंटरनेट सुविधा के साथ अनेक कम्प्यूटरों से सुसज्जित एक कम्प्यूटर केन्द्र बनाया गया है जो पंजीकृत विद्यार्थियों के उपयोग के लिए उपलब्ध है।

16. स्वास्थ्य केन्द्र—महाविद्यालय से सह—युक्त एस.डी. मैडिकल रिसर्च सैन्टर एण्ड हॉस्पिटल उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय परिसर में एक स्वतंत्र स्वास्थ्य केन्द्र प्रस्तावित है जिसमें विद्यार्थियों, कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

17. दिवस विश्राम सुविधा—छात्राओं के लिए एक अलग गर्ल्स कॉमन रूम है। सभी छात्र—छात्राओं के लिए एक मुक्त वाचनालय स्थल भी है।

18. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की सुविधा के लिए निम्न समितियाँ कार्य कर रही हैं—

COMMITTEES OF THE COLLEGE

IQAC Committee

1. Dr. S.C. Varshney – Chairperson
2. Sri Akhilesh Datt–Honorary Secretary & Manager
3. Sri Gyan Prakash Bhatia – Industrialist
4. Dr. P.K. Gupta- Retired Principal
5. Dr. Nisha Agarwal–Co-ordinator
6. Dr. Kamini Singhal – Member
7. Dr. Satish Kumar – Member
8. Dr. Sudhir Kumar – Member
9. Dr. Raj Kumar – Member
10. Dr. Suchi Agarwal – Member
11. Km. Nidhi Chaudhary – Student Representative
12. Mr. Sukh Pal Singh – Office
13. Sri D.K. Jain – Office

Research, Conference and Seminar Committee

1. Dr. S.C.Varshney – Chairperson
2. Dr. Shuchi – Member
3. Dr. Mamta Shyam – Member
4. Dr. Sudhir Kumar – Member
5. Dr. Ashok Tripathi – Member
6. Dr. Raj Kumar – Member
7. Mr. D.K Jain - Office

College Development & Estate Committee

1. Dr.S.C.Varshney – Chairperson
2. Dr. Beena Agarwal – Member
3. Dr. Sudhir Kumar – Member
4. Dr.Ajay Pal Singh – Member
5. Dr. Raj Kumar – Member
6. Sri Rajbir Singh – II-Office

Alumni Committee

1. Dr. Sudhir Kumar – Convener
2. Dr. Ajay Pal Singh – Member
3. Dr. V.Pandey – Member
4. Dr. Raj Kumar – Member
5. Dr. P.K.Agarwal – Member

Self-Financed Courses Committee

1. Dr. S.C.Varshney – Chairperson
2. Dr. S.N.Singh – Member
3. Dr. Babita Gupta–Member
4. Ms. Meenakshi Bhardwaj–Member
5. Dr. Nagendra Singh – Member
6. Sri Rahul Mishra – Office

Games & Sports Committee

1. Dr. S.N.Singh – Convener
2. Dr. Nisha Agarwal – Member
3. Dr. Ajay Pal Singh – Member
4. Dr. Ashok Tripathi – Member
5. Dr. V.Panday – Member
6. Dr. Vandana Tyagi – Member
7. Dr. Raj Kumar – Member
8. Dr. Arunima Rani – Member
9. Sri D.K.Jain – Office

Students welfare Board

1. Dr. Shuchi - Dean
2. Dr.Rajesh Kumar – Member
3. Dr.S.N.Singh – Member
4. Sri Basant Kumar – Member
5. Sri Harendra Kumar Singh – Office

Study & Career Counselling and Placement Committee

1. Dr.Vijay Laxmi – Convener
2. Dr.Mahima – Member
3. Dr.Neelam Sinha – Member
4. Dr.Niketa – Member
5. Dr.Ashok Tripathi – Member
6. Sri Anupam Jain – Office

Waste Disposal Committee

1. Dr. S.C. Varshney – Chairperson
2. Dr. Raj Kumar – Member
3. Sri Rajbir Singh-II-Office

Women's Study and Development Cell

1. Dr. Nisha Agarwal – Convener
2. Dr. Beena Agarwal – Member
3. Dr. Sangita Singhal – Member
4. Dr. Neelam Sinha – Member
5. Dr. Rimpal Pundir – Member
6. Smt. Preeti Rani Shukla – Office

NCC (Boys & Girls Wing)

1. Dr. S.N. Singh – Care taker
2. Dr. Arunima – Care taker
3. Mr. Rahul Yadav – Office

Magazine Committee

1. Dr. Nisha Agarwal – Chief Editor
2. Dr. Kamini Singhal – English
3. Dr. Niketa – Hindi
4. Dr. Vijay Laxmi – Sanskrit
5. Dr. Satish Kumar – Art
6. Dr. Ashok Tripathy – Art
7. Dr. Rajkumar (Science)
8. Sri Rajbir Singh-II- Office

Students' Admission Grievance Cell

1. Dr. Vikas Verma – Convener
2. Dr. Jyoti Singh – Member
3. Dr. Naveen Kumar – Member
4. Dr. Sarita Dhaka – Member
5. Shri Deepak Mittal – Member
6. Sri Anjul Bhushan – Office

N.S.S. Advisory Board

1. Dr. S.C. Varshney – Chairman
2. Dr. Shekhar Chand – Member
3. Dr. Nisha Agrwal – Member
4. Dr. Babita Gupta – Member

National Social Service (NSS)

1. Dr. Shekhar Chand – Program Officer
2. Dr. Babita Gupta – Program Officer
3. Sri Rajeev Kapil – Office
4. Sri Rahul Mishra – Office

General Zorawar Singh Rover/Ranger Crew

1. Dr. Arunima – Convener
2. Dr. Praveen Kumar - Rover Leader
3. Dr. Nisha agarwal - member
4. Dr. S.N. Singh – Member
5. Sri Shashank Agarwal – Office

Student's Complaint & Suggestion Committee

1. Dr. S.C. Varshney – Chairperson
2. Dr. Nisha Agarwal – Member
3. Dr. Rajesh Kumar – Member
4. Dr. Vikas Verma – Member
5. Dr. Raj Kumar – Member
6. Dr. Shekhar Chand – Member
7. Sri Sudhir Kumar Bansal – Office

Parents' Association

1. Dr. Nisha Agarwal – Convener
2. Dr. Mahima – Member
3. Dr. Raj Kumar – Member
4. Sri Shashank Agarwal – Office

Anti Ragging Cell

1. Dr. Nisha Agarwal – Convener
2. Dr. Vikas Verma – Member
3. Dr. S.N. Singh – Member
4. Sri Rajeev Kapil – Office

SC /ST Cell / NET/SET Cell

1. Dr. Vikas Verma – Convener
2. Dr. Anil Kumar – Member
3. Sri D.K. Jain – Office
4. Sri Anjul Bhushan – Office

Health and Dispensary Committee

1. Dr. Nisha Agarwal – Convener
2. Dr. Alka Bansal – Member
3. Dr. Arvin Panwar – Member
4. Dr. Gaurav Yadav – Member

Wifi, Website, Internet, CCTV & Intercom Committee

1. Dr. S.C. Varshney – Chairperson
2. Dr. Raj Kumar – Convener
3. Dr. Sudhir Kumar – Member
4. Dr. P.K. Agarwal (Librarian) – Member
5. Sir Deepak Mittal – Member
6. Ms. Sonakshi – Office
7. Sri Pankaj Kumar – Office

Press Committee

1. Dr. Nisha Agarwal – Convener
2. Dr. Arvin Panwar – Member
3. Shri Anjul Bhushan – Office
4. Mr. Sonakshi Dhiman – Office
5. Sri Subhash – Class IV Employee
6. Sri Narendra – Class IV Employee

Garden Committee

1. Dr. Beena Agarwal – Convener
2. Dr. Mamta Shyam – Member
4. Dr. Shekhar Chand – Member
3. Shri Rajbir Singh-II – Office

NAAC Steering Committee

1. Dr. S.C. Varshney – Chairperson
2. Dr. Nisha Agarwal – Coordinator
3. Dr. Kamini Singhal – Member
4. Dr. Raj Kumar – Member
5. Smt. Babita Gupta – Member
6. Mr. Deepak Mittal – Member
7. Shri Sukhpal Singh – Member
8. Km. Sonakshi – Member

Principal's Advisory Committee

1. Dr. Nisha Agarwal – Convener
2. Dr. Danvir Singh – Member
2. Dr. Rajesh Kumar – Member
3. Dr. Raj Kumar – Member
4. Shri Anjul Bhushan – Office

Cultural Activity Committee

1. Dr. Shuchi – Convener
2. Dr. Beena Agarwal – Member
3. Dr. Danvir Singh – Member
4. Dr. Satish Kumar – Member
5. Dr. S.N. Singh – Member
6. Dr. Niketa – Member
7. Dr. Vijay Laxmi – Member
8. Dr. Charan Singh – Member
9. Dr. V. Pandey – Member
10. Prof. Basant Kumar – Member
11. Shri Nitish Goyal – Office

Proctorial Board

1. Dr. Nisha Agarwal – Chief Proctor
2. Dr. Vikas Verma – Dy. Chief Proctor
3. Dr. Raj Kumar – Proctor
4. Sri Praveen Kumar– Proctor
5. Sri Arvin Panwar – Proctor
6. Dr. Babita Gupta – Proctor
7. Dr. Gaurav Yadav – Proctor
8. Mr. Anshul Sharma – Proctor
9. Dr. Kuldeep Malik – Proctor
10. Mr. Mani Ram – Class IV Employee

UGC Advisory Committee

1. Dr. S.C. Varshney – Chairperson
2. Dr. Sudhir Kumar – Convener
3. Dr. Nisha Agarwal – Member
4. Dr. Vikas Verma – Member
5. Dr. Raj Kumar – Member
6. Dr. Naveen Kumar – Member
7. Dr. Sukhpal Singh – Secretary

RUSA Committee

1. Dr. S.C. Varshney – Chairperson
2. Dr. Shekhar Chand – Convener
3. Dr. Naveen Kumar – Member
4. Ms. Sonakshi Dhiman – Member

Library Committee

1. Dr. S.C. Varshney, Principal (Chairperson)
2. Dr. Sangita Singhal, Head, Department of Economics
3. Dr. (Smt.) Mukta Bansal, Head, Department of Political Science
4. Dr. (Smt.) Shuchi, Head, Department of Home Science
5. Dr. Nisha Agarwal, Head, Faculty of Commerce & Business Administration
6. Dr. Beena Aggarwal, Head, Department of Botany
7. Dr. (Smt.) Alka Bansal, Head, Department of English
8. Dr. (Smt.) Neelam Sinha, Head, Department of Physics
9. Dr. Puroshottam Kumar Aggarwal, Associate Professor (Library)
10. Dr. Sudhir Kumar, Head, Department of Mathematics
11. Dr. Shyam Narayan Singh, Head, Department of Physical Education
12. Dr. (Smt.) Niketa, Head, Department of Hindi
13. Dr. (Smt.) Vijay Laxmi, Head, Department of Sanskrit
14. Dr. Ajay Pal Singh, Head, Department of History
15. Shri Basant Kumar, Head, Department of Drawing
16. Dr. Vandana Tyagi, Head, Department of Geography
17. Dr. Raj Kumar, Head, Statistics & Computer Application
18. Dr. Shekhar Chand, Head, Department of Zoology
19. Dr. Sanjay Arora, Department of Chemistry

3. पुस्तकालय

महाविद्यालय पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की लगभग एक लाख पुस्तकें हैं जो कि वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्थित हैं। इसमें एक अध्ययन कक्ष है, जिसमें पाठकों के लिए समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं की व्यवस्था रहती है तथा एक साथ 100 पाठकों के बैठने की व्यवस्था है।

छात्र/छात्राओं को निर्गत पुस्तकें परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व वापिस करना अनिवार्य है। पुस्तकों की नगद-प्रतिभूति (Cash Secutiry) जमा कराकर छात्रों को परीक्षा काल के लिए भी पुस्तकें निर्गत किये जाने की व्यवस्था है। परीक्षा के समय निर्धारित तिथि तक पुस्तकें जमा न करने पर छात्रों से ₹ 20/- प्रति पुस्तक प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिए जाने का प्राविधान है।

4. महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम

कला संकारा

कला संकाय के निम्न पाठ्यक्रमों के अध्ययन—अध्यापन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं—

1. एम.ए. उपाधि के लिए –

हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, गणित, भूगोल तथा इतिहास।

एम.ए. अर्थशास्त्र में इकोनोमैट्रिक्स तथा गणितीय अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने गणित की परीक्षा इंटर तथा स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण की हो। अर्थशास्त्र और भूगोल को छोड़कर एम.ए. के सभी विषयों में 60 स्थान उपलब्ध हैं, जबकि एम.ए. अर्थशास्त्र में 120 तथा भूगोल में 30 स्थान उपलब्ध हैं। सीटों की संख्या शासन एवं विश्वविद्यालय के आदेशानुसार 1/3 तक बढ़ायी जा रही है।

2. बी.ए. उपाधि के लिए –

मुख्य पाठ्य विषय— हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, शारीरिक शिक्षा, लाइब्रेरी साइंस तथा चित्रकला। उक्त विषयों में से तीन विषय चुनने होंगे। किन्तु कोई विद्यार्थी तीन साहित्यिक विषय एक साथ नहीं ले सकेगा। बी.ए. प्रथम वर्ष में शारीरिक शिक्षा व संस्कृत में से एक विषय ही मिलेगा तथा लाइब्रेरी साइंस व ड्राईंग में से एक विषय मिलेगा।

बी.ए. प्रथम वर्ष

विषय	विषय	विषय	विषय
1. हिन्दी	2. अंग्रेजी	3. संस्कृत	4. अर्थशास्त्र
5. राजनीति विज्ञान	6. इतिहास	7. भूगोल	8. चित्रकला
9. शारीरिक शिक्षा	10. लाइब्रेरी साइंस		

वाणिज्य संकारा

जनपद मुजफ्फरनगर में वाणिज्य की शिक्षा प्रदान करने वाला यह अग्रणी महाविद्यालय है, जिसमें बी.कॉम. तथा एम.कॉम की कक्षाओं के अध्ययन की उत्तम व्यवस्था है।

एम.कॉम उपाधि के लिए –

बी.ए. / बी.एस—सी. परीक्षा गणित के साथ उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी भी एम.कॉम. में प्रवेश ले सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र में अर्हता प्रदायक विषय भी लेना होगा, यदि इस विषय को उन्होंने बी.ए. अथवा बी.एस—सी. में न लिया हो। इसके अतिरिक्त बुक—कीपिंग अर्हता—प्रदायक विषय भी लेना होगा। ये दोनों पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में ही उत्तीर्ण करने होंगे।

बी.कॉम. उपाधि के लिए –

विज्ञान अथवा कला में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी भी बी.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त प्रारम्भिक बुक—कीपिंग एवं लेखा का अर्हता प्रदायक प्रश्न—पत्र भी लेना होगा।

विज्ञान संकारा

1. एम.एस—सी. उपाधि के लिए –

एम.एस—सी. प्रथम वर्ष

विषय	विषय
1. रसायन विज्ञान (ऑर्गेनिक एवं फिजिकल)	3. गणित
2. भौतिक विज्ञान (इलैक्ट्रॉनिक्स)	4. जन्तु विज्ञान (कीट विज्ञान)

2. बी.एस—सी. उपाधि के लिए –

मुख्य पाठ्य विषय—

वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन और जन्तु विज्ञान, गृह विज्ञान।

निम्नलिखित संयोग स्वीकृत किये जाएँगे :-

बी.एस—सी. प्रथम वर्ष

उपलब्ध संयोग	
1. वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान	2. गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान
3. गणित, सांख्यिकी, भौतिक विज्ञान	4. गणित, सांख्यिकी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन
5. गणित, भौतिक विज्ञान, कम्प्यूटर एप्लीकेशन	

नोट : 1. जो छात्र बी.एस-सी. (गणित वर्ग) स्तर पर मान्य तीन विषयों में से एक विषय कम्प्यूटर एल्सीकेशन लेना चाहते हैं, उन्हें रु० 5000/- (पांच हजार रुपये) प्रतिवर्ष अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

2. स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय के निर्णय एवं नियमानुसार प्रत्येक विषय में सेमेस्टर प्रणाली का प्रावधान है।

गृह विज्ञान

बी.एस-सी. (गृहविज्ञान) का पाठ्यक्रम केवल छात्राओं के लिए ही उपलब्ध है। इस त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में सेमेस्टर प्रणाली में परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं जो दिसम्बर व मई में होती हैं। प्रवेश योग्यता—इण्टर गृहविज्ञान या जीव विज्ञान विषयों के साथ।

अन्य अनिवार्य पाठ्यक्रम

स्नातक प्रथम वर्ष : (सभी संकायों के लिए)

(1) पर्यावरण का अध्ययन (Environmental Studies)

(2) भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय गौरव

स्नातक द्वितीय वर्ष : (सभी संकायों के लिए)

(1) सामान्य जागरूकता (General Awareness)

(2) सामान्य हिन्दी/सामान्य अंग्रेजी/सामान्य संस्कृत

शारीरिक शिक्षा एवं खेल पाठ्यक्रम :

स्नातक स्तर के तीनों वर्षों के विद्यार्थियों के लिए उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

शोध कार्य

यह महाविद्यालय सभी स्नातकोत्तर विभागों में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की पी-एच.डी. की उपाधि के लिए शोध करने की सुविधाएँ प्रदान करता है। इसके लिए विश्वविद्यालय नियमों के आधार पर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है।

शोध छात्रों के लिए शुल्क : सभी शोध छात्र महाविद्यालय से पंजीकृत किये जाएँगे और उनके लिए उन्हें रु० 30/- प्रवेश शुल्क अपने आवेदन पत्र को अग्रसारित कराने के समय तथा विश्वविद्यालय से स्वीकृति का पत्र प्राप्त होने की तिथि से लेकर रु० 100/- प्रतिमास शिक्षण शुल्क देय होगा। रु० 300/- पुस्तकालय की सुरक्षा निधि जो प्रवेश शुल्क के साथ देय होगी।

5. स्ववित्त पोषित योजना

सनातन धर्म महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर (कोड 278) में वर्ष 2015-16 से स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बी०कॉम० तथा एम०एस-सी० गृह विज्ञान (फूड एण्ड न्यूट्रीशन व क्लोरिंग एण्ड टैक्सटाइल) की कक्षायें चल रही हैं। बी०कॉम०में 120 सीटें व एम०एस-सी० गृहविज्ञान में 30 सीटें (15 सीट फूड एण्ड न्यूट्रीशन में व 15 सीट क्लोरिंग एण्ड टैक्सटाइल) में स्वीकृत हैं। वर्ष 2016-17 में बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में (100 सीटें) NCTE एवं विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गई है। स्ववित्त पोषित विभाग में सुख्ख विषयों के साथ-साथ फाउण्डेशन कोर्स की कक्षायें भी चलायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को कम्प्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान, अंग्रेजी व्याकरण, व्यावसायिक गणित का ज्ञान भी इस तरह दिया जाता है कि विद्यार्थियों में स्नातक डिग्री के साथ रोजगारपरक कौशल का भी विकास हो सके।

प्रवेश हेतु पात्रता—

बी०कॉम०

इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (वाणिज्य विषय को प्राथमिकता)

एम०एस-सी० (गृहविज्ञान)

बी०एस-सी० गृहविज्ञान/बायोलॉजी ग्रुप

बी०पी०एड० हेतु पात्रता—

50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री और कम से कम एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/ भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर-कॉलेज/अंतर-क्षेत्रीय/जिला/स्कूल प्रतियोगिता में भागीदारी की हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री तथा एक अनिवार्य विषय। वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री और राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालय/राज्य प्रतियोगिता में भाग लिया हो। अथवा एआईयू/आईओए/ एसजीएफआई/ भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर-कॉलेज/अंतर-क्षेत्रीय/जिला/स्कूल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के साथ स्नातक डिग्री अथवा संबंधित संघों/एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/ भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री और कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव (प्रतिनियुक्त सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए, अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक/कोच)

तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी व अन्य श्रेणियों के लिए सीटें का आरक्षण केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार नियमों के अनुसार होगा।

चौथी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सत्र 2019-20

6. प्रवेश के नियम

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।
- (क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा योग्यता क्रम सूची के आधार पर बिना प्रवेश परीक्षा के किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेंगे। ऐसे सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- (ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग, दृष्टिविहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास/पालन निश्चक्तता, अंग-भंग हेतु (कूल 4 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व-सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04-06-2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012 NER dated 7th March, 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2019-20 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट तक व नर्सिंग महाविद्यालयों/संस्थानों में 3 सीट तक वृद्धि की जा सकती है। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।
- (ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यतानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं, किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक योग्यतानुसार व आरक्षण नियमानुसार पंजीकृत अन्य अभ्यर्थियों को समयबद्ध प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन द्वारा ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय चाहें तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक ([link](http://www.ccsuweb.in)) प्रमुख पोर्टल www.ccsuweb.in के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट छात्रों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों को संरक्षित करनी होगी।
- (घ)(i) प्रवेश परीक्षा विहीन प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को www.ccsuweb.in पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर लॉगइन आईडी (पंजीकरण संख्या) प्राप्त करनी होगी। जो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होती है इस हेतु हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के विवरण फोटो, निवास का पता, स्वयं का मोबाईल नम्बर, स्वयं का ई-मेल होना आवश्यक है। तत्पश्चात् आवेदन पत्र में मांगे गये भारांक, शैक्षिक विवरण तथा वांछित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय/संस्थान की वरीयता देना आवश्यक होगा। अन्त में आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्पूर्ण आवेदन पत्र का भली-भाँति अवलोकन कर ऑन लाइन समिट करना आवश्यक होगा। पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अभ्यर्थी के दिये गये मोबाइल नं. पर प्रेषित की जाती है। अपनी पंजीकरण संख्या व पासवर्ड को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र को प्रिन्ट करके अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि शेष तो नहीं है, अन्यथा समयानुसार संशोधन नहीं करने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, इसमें विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। किसी अन्य के द्वारा आन लाई आवेदन पत्र भरवाने के कारण हुई त्रुटियों को समयानुसार पोर्टल पर संशोधन का विकल्प विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा शुद्ध कर लेना आवश्यक होगा। प्रवेश के समय संशोधन करना सम्भव नहीं होगा।
- (घ)(ii) प्रवेश हेतु दो योग्यताक्रम (मेरिट) सूचियां प्रकाशित की जायेगी, जिसके माध्यम से प्रवेश सीमित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान की चयन सूची में वरीयतानुसार नाम आने पर लिए जा सकते हैं। प्रत्येक योग्यता सूची के प्रवेश ऑफर लेटर अपने लॉगइन से डाउनलोड कर सम्बन्धित महाविद्यालय में गोपनीय संख्या देने पर प्रवेश सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। ऑफर लेटर मात्र अभ्यर्थी अपने ऑगइन से प्राप्त कर सकता है एवं प्रवेश सम्पुष्टिकरण मात्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उनके लॉगइन से किया जा सकता है। किसी भी योग्यता सूची की समय सीमा समाप्त होने पर नाम होने पर भी प्रवेश सम्पुष्ट नहीं हो सकते। प्रथम वरीयता के महाविद्यालय/संस्थान में नाम आने पर व प्रवेश सम्पुष्ट होने के पश्चात् पुनः नाम किसी भी मेरिट लिस्ट (ओपन सहित) में प्रदर्शित नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम वरीयता सूची में नाम आने के उपरान्त भी प्रवेश नहीं ले पाते हैं, तो वे प्रथम ओपन मेरिट में महाविद्यालय/संस्थान की वरीयतानुसार दी गयी सूची में पुनः प्रवेश लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं।
- (घ)(iii) प्रथम ओपन मेरिट के उपरान्त ओपन पंजीकरण अर्थात् महाविद्यालय/संस्थान व पाठ्यक्रम के विकल्प के बिना पूर्ण किये गये आवेदन पत्र के आधार पर ऑफर लेटर में इंगित गोपनीय संख्या के माध्यम से रिक्त सीटों के सापेक्ष आरक्षण नियमानुसार वांछित महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि ओपन पंजीकरण आवेदन पत्र खुलने के पश्चात् पूर्व से ही पंजीकृत अप्रवेशित अभ्यर्थियों के भी चयनित महाविद्यालय/संस्थान व पाठ्यक्रम आवेदन पत्र से समाप्त हो जायेंगे व उन्हें नवीन अभ्यर्थी की भाँति ही पुनः ऑफर लेटर डाउनलोड

करना होगा तथा वांछित महाविद्यालय/संस्थान में समस्त प्रपत्रों के साथ उपस्थित होना होगा। महाविद्यालय/संस्थान द्वारा ऑनलाइन प्रवेश सम्पुष्ट होने पर अभ्यर्थी के लॉगइन में सूचना प्राप्त होने पर ही प्रवेश मान्य होगा।

- (ङ) विषय संयोजन आवंटित करने का अधिकार सभी नियमों का संज्ञान लेते हुए, महाविद्यालय के प्राचार्य/उनके द्वारा नामित प्रवेश समिति को ही होगा। विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयों/संस्थानों को सीट उपलब्धता, सेक्षण की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, अभ्यर्थी की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटियों के सम्बन्ध में 2 कार्यदिवस के अन्तर्गत प्राचार्य लॉगइन से संशोधन हो सकता है, किन्तु 2 कार्यदिवस के पश्चात् सूचित करने पर किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जायेगा। विषय संयोजन की सम्पुष्टि के पश्चात् विषय परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। ओपन मेरिट द्वारा बाद में प्रवेश लेने वाले, किन्तु योग्यताक्रम में श्रेष्ठ अर्ह अभ्यर्थी को उसके चयनित विषय, अनुपलब्धता की रिस्थिति में न मिलने पर महाविद्यालय/संस्थान दोषी नहीं होगा। महाविद्यालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि विषय संयोजन सीमित हो, जिससे रिक्त स्थान न शेष रहें।

आरक्षित स्थान हेतु, पंजी त अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपर मेरिट (जो पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् व पंजीकृत समस्त अप्रवेशित अर्ह अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है) में भरे जा सकते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा छात्रावास छात्रावास में आवास, प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षित रखें जायेंगे।

- नोट:-यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण का दावा न करने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् वांछित किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के किसी अन्य प्रदेश के बोर्ड/संस्थान से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का दावा प्रस्तुत करता है, तो उसे सक्षम अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाणपत्र एवं आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

- (च) (i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, (व्यावसायिक पाठ्यक्रम में यह सीमा लागू नहीं होगी। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी जो कि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2019–20 से ट्रान्सजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरुष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

- (छ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो तो, ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों के अनापति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर में स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अनापति लेकर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(v) ऐसे अभ्यर्थी, जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी.पी.टी., डिल्लोमा इन आर.डी.आई.टी. 60 प्रतिशत अंकों से अधिक अंक ग्राप्त कर उत्तीर्ण हैं, वे रिक्त सीटों के सापेक्ष कुल सीटों के 10 प्रतिशत स्थानों पर बी.पी.टी. व बी.आर.डी.आई.टी. में लेटरल एन्ट्री द्वारा द्वितीय वर्ष के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(vi) स्ववित्तपूर्ण संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/संस्थानों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति, महाविद्यालयों/संस्थानों की अनापति व पृथक जनपद होने पर ही द्वितीय वर्ष या अधिक होने पर ही अनुमन्य होगा।

- (ज) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन विद्यार्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यूपी० बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसे: सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० आदि) किन्तु उनके पाँच विषयों के योग्यता प्राप्तांक चयनित विषयों सहित (जहाँ आवश्यक है) उ०प्र० बोर्ड के सामान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए। स्ववित्त पोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षण माध्यम अंग्रेजी होने के कारण उक्त नियम लागू नहीं है।

- (झ) वरीयता सूची तैयार करने हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में दो वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल पर प्रयोगात्मक

विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमत्य नहीं होगा। अन्तराल के वर्षों में कुल प्राप्तांकों से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष कटौती अधिकतम 8 प्रतिशत की जायेगी।

- (ज) ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एम.ए. की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में एम.ए. में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर एम.ए. प्रथम में प्रवेश अनुमत्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम.ए. करना चाहता है तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।
- (ट) विद्यार्थी प्रथम वर्ष के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।
- (ठ) विद्यार्थी प्रथम वर्ष में उन स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिनमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि उल्लिखित नहीं हो तथा जिन्होंने $10+2+3$ पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी। योग्य/पात्र अभ्यर्थियों की हाईस्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए।

विशेष नोट :

मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची नियमावली के अन्त में दी गयी है।

- ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्ड/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अहं नहीं हैं। निम्नलिखित अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्राप्त होती है तो उनका कोई भी विद्यार्थी छात्र प्रवेश के लिये अहं नहीं होगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश के समय एक सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्यतः 60 अभ्यर्थियों के ही प्रवेश किए जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय के प्राचार्य यदि 1 (शिक्षक) : 60 (विद्यार्थी) अथवा 1 (शिक्षक) : 80 (विद्यार्थी) के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हैं तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व मान्य व अतिरिक्त 20 सीट प्रति सेक्शन सीट संख्या प्रति विषय प्रति उपलब्ध मान्य शिक्षक की सूचना विश्वविद्यालय को देंगे, मान्य कुलपति जी द्वारा स्वीकृत होने पर इन निर्धारित सीटों पर प्रवेश ऑनलाइन सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। प्राचार्यों को न तो निर्धारित संख्या से अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा और यदि वे ऐसा करते हैं तब उनके विरुद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छादित रहेंगे तथा इसके लिए प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।
- “शासनादेश संख्या—2555/सत्तर—2—2007—2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग—2 दिनांक 25 जून, के अनुसार शैक्षिक सत्र 2007—08 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006—07 में निर्गत शासनादेश संख्या—1678/ सत्तर—2—2006—2(166)/2003 दिनांक 23 मई, 2006 शासनादेश संख्या—1870/ सत्तर—2—2000—2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग—2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या—3371/सत्तर—2—2006—2 (166)/2003 दिनांक 21 अगस्त, 2006 तथा शासनादेश संख्या—421/सत्तर—1—2015—16(2)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 यथावत लागू माने जायेंगे।”
- किसी भी विद्यार्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातक स्नातकोत्तर विषय में (इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, यदि उसने वह विषय इंटरमीडिएट स्नातक स्तर पर नहीं लिया है। इसमें मनोविज्ञान प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम होते हुए भी अपवाद होगा, जिसके स्नातक स्तर पर यह विषय होना आवश्यक नहीं है।

निम्नलिखित विषय संयोजन स्नातक स्तर पर अनुमत्य नहीं होंगे—

★ हिन्दी तथा उर्दू

★ गणित तथा संगीत

★ सैन्य अध्ययन तथा गृह विज्ञान

★ राजनीति विज्ञान तथा सांख्यिकी

★ मनोविज्ञान तथा भूगोल

किसी भी अभ्यर्थी को बी0ए0 में तीन साहित्यिक विषय तथा तीन प्रयोगात्मक विषय अनुमत्य नहीं होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को गणित के बिना सांख्यिकी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र के संयोजन का चयन करने पर बी0ए0 की उपाधि प्रदान की जाएगी।

Note : In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi the Candidate must have passed Intermediate Examination with five subjects.

- ऐसा अभ्यर्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो किन्तु यदि वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे वह परीक्षा एक पूर्व-विद्यार्थी (Ex-student) के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। विद्यार्थी जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- विद्यार्थी की वरीयता सूची को आंकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक (Weightage) दिए जायेंगे—
 - 4 प्रतिशत अधिभार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक/परास्नातक) छात्रों के लिए।
 - 4 प्रतिशत अधिभार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय/सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों के (पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति) के लिए।
 - मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने परास्तात्क विषय में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक आनर्स के साथ उपाधि प्राप्त की हो।

(द) (i) 3 प्रतिशत अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने NCC का "C" या "G-II" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।
अथवा

(ii) 2 प्रतिशत अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "B" या "G-I" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।
अथवा

(iii) 3 प्रतिशत अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के अन्तर्गत 240 घण्टों की सेवा की हो तथा 7/10 दिनों के 2 शिविरों में भाग लिया हो अथवा 2 प्रतिशत अधिभार उनके लिए जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ 240 घण्टों की सेवा तथा 7/10 दिनों का एक शिविर किया हो अथवा 1 प्रतिशत अधिभार उनके लिए जिन्होंने 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा 1 शिविर किया हो।

अथवा

स्काउटिंग में तथा रेंजर/रोवर गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा—

(i) 4 प्रतिशत अधिभार भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।

अथवा

(ii) 3 प्रतिशत अधिभार— राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने/निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iii) 2 प्रतिशत अधिभार— तृतीय सोपान/गुरुलपद/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iv) 1 प्रतिशत अधिभार— द्वितीय सोपान/ध्वपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन पंजीकृत छात्रों के उचित शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् जी.ओ. नं. एफ. 14-3/85 (सी.पी.), दिनांक 24.04.1985 के क्रम में कुलपति जी के आदेश से सीट सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जा सकता है एवं ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा देकर 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा के स्थानों पर प्रवेश हेतु पाठ्यक्रमानुसार (व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) अर्ह हो सकते हैं। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा समाप्त करनी आवश्यक होगी। जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.) अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ (I.O.A.) द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्रिंश्वविद्यालयीय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो अथवा SAI (Sports Authority of India) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण—पत्र धारक हो।

इण्टरमीडिएट स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में प्रतिभागी के स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए 10 अंक दिये जायेंगे तथा ये अंक अर्हता परीक्षा के कुल प्राप्तांकों में जायेंगे। स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन पंजीकृत छात्रों के उचित परीक्षण के पश्चात आवश्यकता अनुसार कुलपति जी के आदेश से Supernumerary किया जा सकता है।

नोट—(i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को 8 प्रतिशत तक का अधिभार ही देय होगा, (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति को अधिकतम 12 प्रतिशत तक अधिभार दिया जा सकता है)

(ii) किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र, प्रथम श्रेणी छात्र से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

7. कोई भी विदेशी विद्यार्थी किसी भी महाविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा जब तक कि उसको जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रदान न कर दिया जाये। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।

8. इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 या 11+1+3 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के बाद दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुका या 10+2 या 11+1 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुका अभ्यर्थी द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकता है, प्रतिबन्ध यह होगा कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के समान दो वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष और तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष के लगभग समान पाठ्यक्रम पढ़ चुका हो। पाठ्यक्रम का सामंजस्य एल—एल.बी. के प्रकरण में स्वीकार्य नहीं होगा। यह प्रवेश नियम 10 के मान्य होने की स्थिति के अधीन होगा।

9. एक विद्यार्थी को संस्थागत रूप में बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम./एल एल.बी., 6 वर्ष की अधिकतम अवधि में, एम.ए./एम.एस.सी./एम.एस.सी. (कृषि)/एम.कॉम./एलएल—एम./एम.पी.एड. चार वर्ष में बी.ए., एल एल.बी. (इन्टीग्रेटेड) 8 वर्ष में बी.ए.बी.एड. (इन्टीग्रेटेड) 7 वर्ष में, बी.एड./बी.पी.0.पी.0.एड. 0 और एम.एड. तीन वर्ष में, बी.एस.सी.(कृषि) 8 वर्ष में पूर्ण करनी होगी। तीन/चार/छ.:सात/आठ वर्ष की अवधि उस शैक्षिक सत्र से मानी जायेगी जिसमें उसने प्रथम बार प्रवेश लिया हो। उक्त अवधि के समाप्त होने के उपरान्त उसका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

10. एम.एस.सी. एम.ए. भूगोल, गृहविज्ञान, संगीत और वित्रकला में योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश हेतु निर्धारित विषयों में प्रवेश के लिए निम्न नियम अतिरिक्त होंगे—

(i) महाविद्यालय, विषय के लिए निर्धारित सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं देंगे।

(ii) एम.एस.सी. और एम.ए. में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता यथास्थिति बी.एस.सी./बी.ए. में ऊपर बताये नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के साथ सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने अपेक्षित हैं। उपर्युक्त वर्षीय न्यूनतम योग्यता सीमाएँ एस.सी./एस.टी. के अभ्यर्थियों के

- लिए मान्य नहीं होंगी, उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यताक्रमानुसार ही होंगे।
- (iii) प्रस्तर (ii) पर दिये गये विषयों से अलग एम.ए. के ऐसे विषय जिनमें प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम नहीं हैं एवं एम.एससी (गणित) में प्रवेश हेतु द्वितीय श्रेणी या न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
 - (iv) एम.एससी. और एम.ए. (प्रयोगात्मक विषय) में प्रवेश के लिए चुने गये विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। सहायक (Subsidiary) विषय मान्य नहीं होगा। एम.एससी. सांख्यिकी हेतु प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर गणित/सांख्यिकी विषय होना अनिवार्य है परन्तु एम.ए. प्रयोगात्मक विषयों में उपर्युक्तानुसार अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या स्वीकृत सीटों से कम होने की स्थिति में सहायक (Subsidiary) विषय मान्य होंगे। एम.एस-सी० बायोइन्फोरमेटिक्स (Bioinformatics) में प्रवेश हेतु स्नातक बायोलॉजी ग्रुप/बायोटैक्नोलॉजी/कम्प्यूटर साइंस/गणित/ सांख्यिकी/ माइक्रोबाइलॉजी/बी०एम०एल०टी०/बी०एससी० कृषि में 50% अंक आवश्यक होंगे।
 - (v) एम.एस-सी० (गणित) में प्रवेश हेतु बी०सी०ए०, बी०टेक०(मैकेनिकल, कम्प्यूटर साइंस, इंफोरमेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे किन्तु उनकी योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंकों की कटौती करके बनायी जायेगी। बी०एस-सी० (गणित) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
 - (vi) एम.ए०ए० के भाषा सम्बन्धी विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत) में प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर वहीं विषय मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है।
 - (vii) एम.ए०ए०(अर्थशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी०बी०ए०/बी०सी०ए०/बी०ए० (गणित)/बी०एस-सी० (गणित)/ बी०कॉम० अथवा 10+२ में गणित उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा। किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंक की कटौती के पश्चात जारी की जायेगी। बी०ए० (अर्थशास्त्र) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
 - (ix) एम.ए. गैर प्रायोगिक विषय (इतिहास, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, सेन्य अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र) तथा मनोविज्ञान के प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है किन्तु अर्हता सूची के अनुसार अर्ह हैं, यदि प्रवेश हेतु आवेदन करता है तो योग्यता सूची तैयार करते समय अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
11. (i) एल एल.बी० प्रथम वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा तैयार योग्यता सूची के आधार पर विहित नियमावली के अनुसार किये जायेंगे। एल-एल.बी० (3 वर्षीय एवं 5 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग हेतु 44.5 प्रतिशत से अधिक/पिछ़ड़ा वर्ग हेतु 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 39.5 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक/परास्नातक उत्तीर्ण छात्र पात्र होगा। योग्यता क्रम की गणना हेतु स्नातक (3 अथवा अधिक वर्षीय) अथवा स्नातकोत्तर स्तर (2 वर्षीय) पर जिसमें अधिक प्रतिशत अंक हो, वहीं आधार बनेगा यद्यपि गैप वर्ष की गणना पात्रता कक्षा अर्थात् स्नातक से की जायेगी, तथापि भारत के राजपत्र भाग-III, खण्ड-4, दिनांक : 07.08.2014 के अनुसार एलएल.बी० (3 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु अर्ह कक्षा स्नातक अथवा उच्चतर कक्षा (स्नातोत्तर) में 45 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त करें हो, तो वह विद्यार्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे।
- (ii) जिन अभ्यर्थी ने इस विश्वविद्यालय से या इस विश्वविद्यालय से मान्य किसी विश्वविद्यालय से एलएल.बी० उपाधि (3 वर्षीय पाठ्यक्रम/5 वर्षीय पाठ्यक्रम) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की है, मास्टर ऑफ लॉ (एल-एल.एम.) प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के उपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार योग्यता सूची के आधार पर अर्ह होंगे।
- (iii) एक अभ्यर्थी, जिसने एलएल.बी० का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष किसी अन्य विश्वविद्यालय से जो कि इस विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, उत्तीर्ण किया है, एलएल.बी० के द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश ले सकता है। किन्तु उसे इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के सभी प्रश्न-पत्र उत्तीर्ण करने होंगे।
- (iv) कोई भी महाविद्यालय एल-एल.बी० प्रथम वर्ष में B.C.I. द्वारा निर्धारित सीटों के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेंगे।
12. (i) बी.कॉम० प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु योग्यता सूची तैयार करते समय उन विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा, जिन्होंने 10+२ कॉर्स से उत्तीर्ण किया हो। बी.कॉम० में प्रवेश के लिए मैरिट लिस्ट तैयार करते समय प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्तांकों को आधार माना जाएगा।
- (ii) बी.ए० में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी के, जिसने इंटरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कृषि पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।
- (iii) इंटरमीडिएट परीक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी.कॉम०, बी.ए०, अथवा बी.एस-सी० में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे, प्रयोगात्मक विषयों के नहीं।
13. (i) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को उस जनपद के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी आपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।
- (iii) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक को किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश या पुनः प्रवेश महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (iv) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरुद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति

में कुलपति/प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

- (v) अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार या दूषित वातावरण उत्पन्न करने का दोषी पाये गये किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
- (vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :
- "If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain, and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him from the institution."**
- (vii) कोई भी विद्यार्थी जिसे एक संस्थागत विद्यार्थी के रूप में सात साल हो चुके हैं, बी.एड., बी०पी०एड०, एम.एड., एम०पी०एड०., एल-एल. एम. व्यावसायिक स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य कक्षा / पाठ्यक्रम में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।
14. (i) बी.एड./बी.पी.एड. और एम.एड./एम.पी.एड. की कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियम बी.एड., एम.एड. के विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।
- (ii) बी.एससी. (कृषि) प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। अभ्यर्थी को बी.एससी. (कृषि) प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कृषि से या जीव विज्ञान में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। इन परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता सूची बनायी जायेगी। इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी०ए०/बी० एस सी० गृह विज्ञान तथा बी०एस सी० कृषि में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।
- (iii) केवल वे अभ्यर्थी एम.एससी. (कृषि) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये योग्य होंगे, जिन्होंने बी.एससी. (कृषि) से चार वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है। एम.एससी. (कृषि) में प्रवेश, योग्यताक्रम के आधार पर होगा।
15. ऐसा अभ्यर्थी, जो किसी अन्य महाविद्यालय से सम्बन्धित द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, इस विश्वविद्यालय में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।
16. ऐसा अभ्यर्थी, जो कोई ओरियन्टल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक वह इस विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अहंता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता।
17. (i) एम.कॉम. के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी.कॉम. परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बी.बी.ए. उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे किन्तु प्राथमिकता बी.कॉम. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही जायेगी।
- (ii) बी.सी.ए./बी.टेक (Mech./CS/IT/EC/Electrical) की परीक्षा क्रमशः बी.एससी. (गणित) की स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जाएगी। यद्यपि एम.एस-सी. (गणित) में प्रवेश की प्राथमिकता बी.एस-सी. (गणित) को दी जायेगी।
- (iii) बी०पी०ई०सी० (सेमेस्टर प्रणाली 3 वर्षीय पाठ्यक्रम)/बी.एस-सी. शारीरिक शिक्षा) (वार्षिक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की अन्य स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।
- (iv) एम०पी०ई०सी० (सेमेस्टर प्रणाली 2 वर्षीय) पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य माना जायेगी।
- (v) एलएल०बी० (3 वर्षीय) एवं एलएल०बी० (5 वर्षीय) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बार कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अहंता ही मान्य होगी।
- (vi) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। स्नातकोत्तर स्तरीय तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में क्रमशः 50 तथा 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा। परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण (5 प्रतिशत छूट के साथ) छात्र प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
18. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।
19. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।
20. (i) अभ्यर्थी, जिसने उत्तर मध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय में बी.ए. प्रथम/एम.ए. प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।
- (ii) अभ्यर्थी, जिसने शास्त्री परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है एवं शासन द्वारा अधिकृत उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्यता प्रवेश की सूची में प्रवेश हेतु वह अभ्यर्थी बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा। (समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 05.06.2004 में लिए गये निर्णयानुसार)। बी.एड./बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा (प्रवेश समिति की दिनांक 28.2.2009 को सम्पन्न हुई बैठक में लिए गये निर्णयानुसार)।
21. अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जाएगा।
22. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।

23. कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यू.पी. या अन्य किसी दूसरे बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमा के आधार पर योग्य नहीं समझा जायेगा। विश्वविद्यालय का कोई भी पूर्ववर्ती निर्णय ऐसे डिप्लोमा के बारे में निरस्त माना जायेगा।
24. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। महाविद्यालय अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने वि.वि. को प्रेषित नहीं करेगा।
25. कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिनियमों में वर्णित न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।
26. परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो उसका अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा पुनः देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
27. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा)।
28. आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं मानी जायेगी।
29. बी.एस.सी. फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स विषय विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जीव विज्ञान विषय में 10+2 उत्तीर्ण छात्रों को क्रीड़ा सम्बन्धी अभिलेखों के साथ 45 प्रतिशत अंक (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग) व 40 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति/जनजाति) होने पर ही दिया जायेगा।
30. स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों यथा बी.लिब आदि में प्रवेश 10+2+3 पैटर्न के अन्तर्गत ही किये जायेंगे। अतः 10+2+3 उत्तीर्ण छात्रों को ही उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाये। जिस पाठ्यक्रम विशेष के लिये अर्हता सूची में उल्लिखित है मात्र उसमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह होंगे।
31. विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के प्रवेश में छात्राओं को क्षैतिज (Horizontal) आधार पर 20% का आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
32. विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय IV के प्रस्तर 4 के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जब तक कि परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हो।
33. BJMC, BBA, BFA, B.El.Ed., में प्रवेश हेतु 10+2 में न्यूनतम 45% अंक आवश्यक है। एस.सी./ एस.टी. अभ्यर्थियों का प्रवेश 40% तक अनुमन्य होगा।
34. BMLT तथा BMM के लिए 10+2 पी.सी.बी./पी.सी.एम. के साथ न्यूनतम 45% अंक आवश्यक है। एस.सी./एस.टी. अभ्यर्थियों का प्रवेश 40% तक अनुमन्य होगा। BOT, BRDIT तथा BPT के लिए मात्र पी.सी.बी. अनुमन्य है। Post Basic Nursing के लिए 10+2 के साथ General Nursing and Midwifry में डिप्लोमा आवश्यक है। B.Sc. Nursing के लिए 10+2 मात्र पी.सी.बी./पी.सी.बी.इ. के साथ न्यूनतम 45% अंक आवश्यक है।
35. B.Sc. Home Science (Clinical Nutrition & Dietetics) के लिए 10+2 में गृह विज्ञान आवश्यक है।
36. प्रवेश के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त आदेशों का पालन किया जायेगा।
37. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय परिसर तथा महाविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रमों के लिए समान होंगे।
38. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
39. किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये अर्हता उपाधि से दो वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमत नहीं होगा।
40. M.Sc. Home Science की विभिन्न शाखाओं के लिये अर्हता B.Sc. Home Science 50% अंकों के साथ रहेगी। Food & Nutrition पाठ्यक्रम के लिये B.Sc. Home Science (Clinical Nutrition & Dietetics) उत्तीर्ण छात्र उक्त प्रतिशत के साथ ही पात्र होंगे।
41. यदि छात्र उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय की योग्यता सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु दिये गये समय के भीतर पत्राजात सहित प्रस्तुत होकर सम्पूर्ण कराने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें रिक्त सीट शेष रहने की स्थिति में उस महाविद्यालय अथवा अन्य (जिसका चयन उन्होंने प्रवेश आवेदन भरते समय नहीं किया हो) महाविद्यालय में प्रवेश अन्तिम चरण में दिया जा सकता है। यदि प्रवेश सम्पूर्ण न होने का आधार उनके पत्राजात का सत्यापित न हो पाना है तो उनमें त्रुटि संशोधन के पश्चात् उनका नाम पुनः योग्यता सूची में आ सकता है। त्रुटि संशोधन के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
42. समय—समय पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रवेश की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे जो मान्य होंगे। शुल्क प्रतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही आच्छादित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे।
43. छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित व महाविद्यालयों द्वारा प्रवेशित होगा। यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हता कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वह भी समान हो तो, अर्हता कक्षा से पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे, यह भी समान हो तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्ततः A, B, C, D प्रारम्भिक नामाक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।
44. अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू.जी.सी./आई.जी.एन.ओ.यू. तथा एन.आइ.ओ.एस. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

7. महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी नियम

- प्रवेश की अन्तिम तिथि, सिक्कत स्थानों की सूचना तथा संशोधित नियमों के लिए विद्यार्थी समय-समय पर महाविद्यालय के सूचना पट्ट देखें।
- विभिन्न विषयों में निर्धारित स्थानों की पूर्ति हो जाने पर उनमें प्रवेश तत्काल बन्द कर दिये जाएँगे।
- महाविद्यालय में कोई भी धनराशि बिना उचित रसीद के न दें। यह रसीद महाविद्यालय कार्यालय से ही निर्गत की जायेगी।
- विशेष जानकारी के लिए सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क करें।
- एम.ए., एम.एस-सी. तथा एम.कॉम. द्वितीय वर्ष में तथा बी.ए., बी.एस-सी. (गृहविज्ञान) तथा बी.कॉम. द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष में प्रवेश पूर्ववर्ती परीक्षाओं के सामूहिक परिणाम घोषित होने के बाद प्रारम्भ होंगे।
- एल.एल.बी. उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- बी.ए., बी.कॉम., बी.एस-सी. (गृहविज्ञान) द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में तथा एम.ए., एम.कॉम., एम.एस-सी. द्वितीय वर्ष में अन्य महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रवेश विश्वविद्यालय की अनुमति के पश्चात् दिया जा सकता है।
- प्रवेश के समय गलत सूचना एवं गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर लिये गये प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो लेकिन परीक्षा नहीं दी हो उन्हें उसी विषय में पूर्व-छात्र (Ex-Student) के रूप में पुनः परीक्षा देने की अनुमति होगी, लेकिन किसी भी अन्य विषय के संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों को नियम विरुद्ध महाविद्यालय में किसी भी अवस्था में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- जिन विद्यार्थियों को अनुशासनहीनता के कार्यों में लिप्त पाया गया/जाता है, उन्हें अपनी कक्षा में उत्तीर्ण होने पर भी प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा।
- यदि चयनित अभ्यर्थी निश्चित तिथि को प्रवेश समिति/अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ होते हैं, तो वे प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे।
- आरक्षण के नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के लिए निर्धारित सीटों पर प्रवेश के समय सभी अभिलेख जाति-प्रमाण पत्र सहित जमा करना अनिवार्य हैं अन्यथा सुरक्षित सीटों का लाभ नहीं मिलेगा।
- राष्ट्रीय खेलकूद, एन.सी.सी. तथा एन.एस.एस. अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में वार्ड लाभ हेतु प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करें। बाद में कोई अभिलेख स्वीकार नहीं होंगे और न ही इस प्रकार के अधिभार का लाभ मिलेगा।
- किसी भी अनुपयुक्त अभ्यर्थी को बिना कारण बताए प्रवेश न देने का वैधानिक अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है।

8. प्रवेश प्रक्रिया

- प्रवेश के लिए प्रवेशार्थी महाविद्यालय के निर्धारित आवेदन पत्र का ही प्रयोग करें। आवेदन पत्र महाविद्यालय की विवरण-पत्रिका में लगा हुआ है। विवरण-पत्रिका महाविद्यालय के कार्यालय से निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र तथा अनुशासन विभाग के प्रपत्र की समस्त प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से अंकित करें। अधूरे प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इलेक्ट्रोस्टेट फोटो वर्जित है।
- दोनों प्रपत्रों पर अपने फोटो अच्छी तरह गोंद से भली-भाँति चिपकाएँ। ऐन से लगाये फोटो स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इलेक्ट्रोस्टेट फोटो वर्जित है।

4. भरे हुए आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र की आवश्यकता है—
 - क. प्रवेशार्थी के पासपोर्ट आकार के तीन एक जैसे फोटो (दो चिपकाएँ, एक प्रवेश के समय साथ लायें)
 - ख. हाई स्कूल के प्राप्तांक तथा सर्टिफिकेट (जन्म तिथि हेतु) की फोटोस्टेट प्रति।
 - ग. पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक की फोटोस्टेट प्रति।
 - घ. पूर्व संस्था के आचरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
 - ड. पूर्व संस्था के स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र/ माइग्रेशन प्रमाण—पत्र की मूल प्रति।
 - ढ. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति से सम्बद्ध है तो तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की मूल प्रति व उसकी इंटरनेट से निकाली गई प्रति।
 - च. यदि विकलांग है तो उसकी C.M.O. द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
 - छ. यदि किसी अधिभार (वैटेज) में आते हैं तो तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र।
5. सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रवेश के समय स्वयं प्रवेशार्थी अपने साथ लेकर आयें।
6. सभी प्रकार पूर्ण किये आवेदन पत्र को लेकर निर्धारित तिथि को महाविद्यालय में अपना प्रवेश करा लें।
7. कोई भी आवेदन पत्र प्रवेश के लिये आवश्यक प्रपत्र के अभाव में स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
8. समस्त विद्यार्थी प्रवेश के समय अपने विषयों का चयन सोच समझकर करें। प्रवेश के बाद कोई विषय परिवर्तन किसी भी दशा में नहीं होगा।
9. सभी प्रवेशार्थी निर्धारित स्थान, समय तथा तिथि के अनुसार प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं व्यक्तिगत रूप से पूरी फीस लेकर अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों तथा एक फोटो के साथ उपस्थित होंगे। प्रवेश समिति द्वारा मूल अभिलेखों का सत्यापन करने पर तथा प्रवेशार्थी के आचरण एवं व्यवहार से सन्तुष्ट होने पर ही प्रवेश मिल पायेगा। संदिग्ध आचरण वाले प्रवेशार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
10. प्रत्येक कक्षा में प्रवेश सम्बन्धित संकाय के संयोजक द्वारा ही दिये जायेंगे। स्नातक द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के प्रवेश सीधे 'प्रवेश समिति' द्वारा ही किये जायेंगे। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर ही होगा।

9. विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचनाएँ एवं निर्देश

1. विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षा में किसी भी विषय में बैठने से रोका जा सकता है, यदि लिखित तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में अलग—अलग उनकी उपस्थिति कम से कम 75% न हो।
2. महाविद्यालय में धूमपान, तम्बाकू सेवन या मद्यपान पूर्णतः वर्जित हैं तथा पान की पीक थूकना सख्त मना एवं दण्डनीय है।
3. कक्षाओं के समय अनावश्यक बरामदों में धूमना, शौर मचाना या बाहरी व्यक्तियों को साथ लाना मना है।
4. प्रत्येक विद्यार्थी को अपने वाहन (साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल आदि) का पंजीकरण कराना होगा और वाहन को महाविद्यालय के निश्चित वाहन—स्थल पर ही रखना होगा।
5. जो भी छात्र/छात्राएं रैगिंग में लिप्त पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध शासकीय आदेश व कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।
6. विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म समय से भरकर महाविद्यालय में जमा करने का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यार्थी का होगा। महाविद्यालय इस विषय में किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फार्म भरने की तिथि महाविद्यालय सूचना—पट्ट पर लगायी जायेगी। इस सन्दर्भ में छात्र महाविद्यालय सूचना पट्ट पर लगी जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म भरना सुनिश्चित करेंगे।
7. सुरक्षित निधि की वापसी का आवेदन पत्र अगले वर्ष नवम्बर के माह में स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ने के

- एक वर्ष के अन्दर निधि की वापसी के लिए आवेदन नहीं करता तो उसे कोई वापसी नहीं की जाएगी। यदि एम.एस-सी. के छात्र सत्र के मध्य महाविद्यालय छोड़कर जाएँगे, तो उनकी सुरक्षित निधि जब्त कर ली जाएगी।
8. स्थानान्तरण का प्रमाण पत्र (T.C.) प्राप्त करने के लिए मुद्रित प्रारूप पर आवेदन करने एवं कार्यालय में दस रुपये नकद जमा करने पर आवश्यक भुगतान के पश्चात् इस प्रमाण-पत्र की प्राप्ति की जा सकती है।
 9. विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में मोबाइल फोन लाना तथा कक्षाओं में इसका प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।

10. वेशभूषा

विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित वेशभूषा (Uniform) पहनकर तथा परिचय पत्र लेकर आना अनिवार्य होगा। जो छात्रों के लिए सफेद कमीज व नेवी ब्ल्यू पैंट, सर्डियों में मैरून रंग की स्वेटर या कोट तथा छात्राओं के लिये सफेद रंग का सलवार कमीज, मैरून दुपट्टा तथा सर्डियों में मैरून रंग का स्वेटर/कोट है।

इस नियम का पालन न करने वाले छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय के गेट पर रोका जा सकता है और वापस घर भेजा जा सकता है।

11. परिचय पत्र

1. प्रवेश के उपरान्त छात्र/छात्रा को फीस जमा कराते समय एक परिचय पत्र दिया जायेगा जिसमें फोटो लगाकर एवं समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण करके छात्र उसे फीस-सहायक को देकर प्रवेश शुल्क की रसीद प्राप्त करेंगे। यह परिचय पत्र बाद में चीफ प्रॉक्टर कार्यालय से निर्धारित तिथि पर प्रवेश शुल्क की रसीद दिखाने पर ही सम्बन्धित छात्र/छात्रा को मिलेगा।
2. महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को अपना परिचय पत्र गले में पहने रखना अनिवार्य होगा तथा अधिकारियों द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।
3. किसी भी दशा में अपना परिचय पत्र किसी अन्य को न दें।
4. परिचय पत्र खोने या नष्ट होने पर पुनः रु 100/- अर्थदण्ड देने पर ही बनेगा। अगर तीसरी बार बनवाने की स्थिति आती है तो 300/- अर्थदण्ड देने पर ही परिचय पत्र बनेगा।

12. प्रवेश सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाएँ

1. प्रवेश सम्बन्धी सूचनाओं के लिये प्रवेशार्थी महाविद्यालय सूचना पट्ट (College Notice Board) को ध्यान पूर्वक देखते रहें।

13. शुल्क सम्बन्धी सूचनाएँ एवं व्यवस्था

1. फीस जमा कराने की व्यवस्था मुख्य नियंत्रक के पास होगी। प्रवेशार्थी को पूरी फीस प्रवेश के दिन ही जमा करानी है। प्रवेश रद्द होने की स्थिति में केवल प्रतिभूति राशि ही वापिस होगी।
2. समस्त कक्षाओं का शुल्क बैंक वाउचर द्वारा नकद लिया जायेगा। फीस उसी दिन जमा की जायेगी अन्यथा प्रवेश निरस्त हो जायेगा।
3. विवरण पत्रिका के खण्ड 12 में दी गई शुल्क तालिका वर्तमान सूचना के अनुसार है। यदि शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा इसमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित शुल्क महाविद्यालय द्वारा बाद में लिया जायेगा।
4. बी.ए./बी.कॉम. प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थी रु 1358/- छात्र एवं 1226/- रु. छात्राएँ का शुल्क वाउचर द्वारा नकद लिया जायेगा। यदि वे प्रयोगात्मक विषय (भूगोल या चित्रकला या शारीरिक शिक्षा) लेते हैं तो प्रति प्रयोगात्मक विषय रुपये 290/- अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा।
5. बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम के प्रवेशार्थी देय शुल्क रु. 1938/- छात्र एवं रु. 1806/- छात्राएँ एवं रु 5000/- कम्प्यूटर फीस कुल रु 6938 छात्र एवं 6806/- छात्राएँ का वाउचर लेकर नकद फीस जमा करेंगे।

ADMISSION COMMITTEES (2019-2020)

B.A.-I	- Dr. Rajesh Kumar (Convener) - Shri Basant Kumar - Dr. Vandana Tyagi - Dr. Vishwambhar Pandey - Dr. Sangita Singhal - Dr. Shuchi Agarwal - Prof. Parvin Kumar
B.A.-II & III	- Dr. Jyoti Singh
B.Com.-I, II & III	- Dr. Nisha Agarwal (Convener) - Dr. P.K. Srivastav
B.Sc.-I, II & III (Bio, Maths)	- Dr. Raj Kumar (Convener) - Dr. Shekhar Chand - Dr. Arvin Panwar - Dr. Sanjay Arora - Dr. Rimpal Pundir
B.Sc.-II & III	- Dr. Sudhir Pundir - Dr. Neelam Sinha
B.Sc.-I, II & III (H.Sci.)	- Dr. Shuchi - Dr. Beena Agarwal - Dr. Mamta Shyam
M.Com. I & III Sem.	- Dr. Nisha Agarwal (HoD, Commerce)
M.A. (Economics) I & III Sem.	- Dr. Sangita Singhal (HoD, Economics)
M.A. (English) I & III Sem.	- Dr. Alka Bansal (HoD, English)
M.A. (Geog.) I & III Sem.	- Dr. Vandana Tyagi (HoD, Geography)
M.A. (Hindi) I & III Sem.	- Dr. Niketa (HoD, Hindi)
M.A. (History) I & III Sem.	- Dr. Ajay Pal Singh (HoD, History)
M.A. (Pol. Sci.) I & III Sem.	- Dr. Mukta Bansal (HoD, Pol. Sci.)
M.A. (Sanskrit) I & III Sem.	- Dr. Vijay Laxmi (HoD, Sanskrit)
M.Sc. (Chemistry) I & III Sem.	- Dr. Sanjay Arora (Prof. In-charge, Chemistry)
M.Sc. (Math) I & III Sem.	- Dr. Sudhir Kumar (HoD, Math)
M.Sc. (Physics) I & III Sem.	- Dr. Neelam Sinha (HoD, Physics)
M.Sc. (Zoology) I & III Sem.	- Dr. Shekhar Chand (HoD, Zoology)

Proctorial Committee

1. Dr. Nisha Agarwal	- Chief Proctor
2. Dr. Vikas Verma	- Dy. Chief Proctor
3. Dr. Raj Kumar	- Proctor
4. Prof. Praveen Kumar	- Proctor
5. Dr. Arvin Panwar	- Proctor
6. Dr. Babita Gupta	- Proctor
7. Dr. Gaurav Yadav	- Proctor
8. Mr. Anshul Sharma	- Proctor
9. Dr. Kuldeep Malik	- Proctor

Admission Grievance Cell

1. Dr. Vikas Verma
2. Dr. Navin Kumar
3. Dr. Sarita Dhaka
4. Mr. Deepak Mittal

14. नियमित कक्षा शुल्क सूची 2019-20

विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षा शुल्क सहित शुल्क विवरण तालिका

बी०कॉ०/बी०ए०	1358	1226	1058	926	1058	926
बी०ए०-भूगोल/कला/शारीरिक शिक्षा एवं खेल (दो प्रयोगात्मक विषय)	1938	1806	1638	1506	1638	1506
बी०ए०-भूगोल/कला/शारीरिक शिक्षा एवं खेल (एक प्रयोगात्मक विषय)	1648	1516	1384	1216	1384	1216
बी०ए०स-सी० - बायो	2228	2096	1778	1646	1778	1646
बी०ए०स-सी० - गणित	1938	1806	1538	1406	1538	1406
बी०ए०स-सी० - गृह विज्ञान (केवल छात्राएँ)	-	2886	-	2436	-	2436
एम०ए० भूगोल	2022	1842	1522	1342	-	-
एम०ए०/एम०कॉ० एवं एस०ए०स-सी०-गणित	1582	1402	1282	1102	-	-
एम०ए०स-सी० रसायन/भौतिकी/जन्तु विं	2022	1842	1522	1342	-	-

नोट : वाहन शुल्क (साईकिल रु. 350.00, स्कूटर, मोटर साईकिल रु. 450.00) अतिरिक्त देय होगा। बी.ए. में प्रयोगात्मक विषय (भूगोल, कला व शारीरिक शिक्षा एवं खेल) लेने वाले विद्यार्थी को प्रति विषय रु. 240.00 प्रयोगात्मक शुल्क तथा रु. 50.00 सुरक्षा निधि के भी देने होंगे। प्रयोगशाला सामग्री/पुस्तक को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर सामग्री/पुस्तक का मूल्य लिया जायेगा।

विशेष: 1. प्रवेश रद्द होने की स्थिति में जमा किया गया शुल्क नियमानुसार ही वापिस होगा। परीक्षा फार्म का शुल्क व विश्वविद्यालय के देय शुल्क नियमानुसार परीक्षा फार्म के साथ लिया जायेगा।

2. यदि शुल्क में कोई परिवर्तन शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है तो संशोधित फीस ली जायेगी।

3. बी.एस-सी. कम्प्यूटर एप्लीकेशन का वार्षिक शुल्क रु. 5000/- अतिरिक्त देय होगा।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शुल्क, छात्रवृत्ति एवं प्रतिपूर्ति में छूट तभी सम्भव है जब उनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख (दो लाख पचास हजार) रुपये कर दी गयी है। जिसका प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

NURSERY TEACHER TRAINING (N.T.T.)

**(Compulsory for Job in private schools)
One and two years diploma course (co-ed)**

Qualification : 10th and 12th Pass

Male & Female candidates can apply

Admission Open

SD College Campus

Contact : 8859383780

Yogita Som Director (N.T.T.)

प्राचार्य : डा० एस०सी० वार्ष्णेय

डी० लिट०

शिक्षकगण

वाणिज्य संकाय

1. डा० एस०सी० वार्ष्णेय, प्राचार्य एवं एसो० प्रोफेसर, एम०ए० (अर्थशास्त्र), एम०काम०, पी-एच०डी०, डी०लिट०
2. डा० (श्रीमती) निशा अग्रवाल (अध्यक्षा), एसो० प्रोफेसर, एम०काम०, एम०ए०-अर्थशास्त्र, पी-एच०डी०
3. डा० पी०के० श्रीवास्तव, एसो० प्रोफेसर, एम०काम०, एम०ए०-अर्थशास्त्र, एम०बी०ए०, पी-एच०डी०, डी०लिट०
4. डा० विकास वर्मा, एसो० प्रोफेसर, एम०काम०, एम०ए०-अंग्रेजी, पी-एच०डी०, एम०बी०ए०
5. रिक्त पद - 9

कला संकाय

अंग्रेजी विभाग

1. डा० (श्रीमती) अलका बंसल (अध्यक्षा) एसो० प्रोफेसर, एम०ए०-अंग्रेजी, एम०फिल०, पी-एच०डी०
2. डा० (श्रीमती) महिमा, एसो० प्रोफेसर, एम०ए०-अंग्रेजी, पी-एच०डी०
3. डा० (श्रीमती) कामिनी सिंहल, एसो० प्रोफेसर, एम०ए०-अंग्रेजी, एम०फिल०, पी-एच०डी०
4. रिक्त पद - 2

अर्थशास्त्र विभाग

1. डा० (श्रीमती) संगीता सिंघल (अध्यक्षा), एसो० प्रोफेसर, एम०ए० – अर्थशास्त्र, पी-एच०डी०
2. रिक्त पद - 6

भूगोल विभाग

1. डा० (श्रीमती) वन्दना त्यागी (अध्यक्षा), एसो० प्रोफेसर, एम०ए० – भूगोल, पी-एच०डी०, जी०आई०एस०
2. श्री प्रवीन कुमार, असि० प्रोफेसर, एम०ए० – भूगोल
3. रिक्त पद - 5

हिन्दी विभाग

1. डा० (श्रीमती) निकेता (अध्यक्षा) एसो० प्रोफेसर, एम०ए०-हिन्दी, पी-एच०डी०
2. डा० (श्रीमती) ज्योति सिंह, एसो० प्रोफेसर, एम०ए०-हिन्दी, पी०जी०डी०टी, एम०फिल०, पी-एच०डी०
3. डा० विश्वम्भर पाण्डेय, एसो० प्रोफेसर, एम०ए०-हिन्दी, एम०फिल०, पी-एच०डी०
4. रिक्त पद -2

इतिहास विभाग

1. डा० अजय पाल सिंह (अध्यक्ष) एसो० प्रोफेसर, एम०ए०-इतिहास, एम०फिल०, पी-एच०डी०
2. डा० अशोक त्रिपाठी, एसो० प्रोफेसर, एम०ए०-इतिहास, पी-एच०डी०
3. रिक्त पद - 2

राजनीति विज्ञान विभाग

1. डा० (श्रीमती) मुक्ता बंसल (अध्यक्षा) एसो० प्रोफेसर, एम०ए० (राज०वि०), एम०फिल०, पी-एच०डी०
2. डा० दानवीर सिंह, एसो० प्रोफेसर, एम०ए० (राज०वि०), एम०फिल०, पी-एच०डी०
3. डा० राजेश कुमार, एसो० प्रोफेसर, एम०ए० (राज०वि०), पी-एच०डी०
4. डा० सतीश कुमार, एसो० प्रोफेसर, एम०ए० (राज०वि०), एम०फिल०, पी-एच०डी०
5. डा० अनिल कुमार, असि० प्रोफेसर, एम०ए० (राज०वि०), एम०फिल०, पी-एच०डी०

संस्कृत विभाग

1. डा० (श्रीमती) विजय लक्ष्मी (अध्यक्षा) एसो० प्रोफेसर, एम०ए० (संस्कृत), पी-एच०डी०
2. डा० चरण सिंह, एसो० प्रोफेसर, एम०ए० (संस्कृत), एम०फिल०, पी-एच०डी०
3. डा० (श्रीमती) अरुणिमा रानी, एसो० प्रोफेसर, एम०ए० (संस्कृत), पी-एच०डी०
4. डा० (श्रीमती) शुचि अग्रवाल, असि० प्रोफेसर, एम०ए० (संस्कृत), एम० फिल०, पी-एच०डी०

ललित कला विभाग

- श्री बसन्त कुमार (अध्यक्ष) एसो० प्रोफेसर, एम०ए० (ड्राइंग व पेटिंग)
- रिक्त पद - 1

शारीरिक शिक्षा विभाग

- डा० श्याम नारायण सिंह (अध्यक्ष) एसो० प्रोफेसर, एम०पी०एड०, पी-एच०डी०

विज्ञान संकाय

गृह विज्ञान विभाग

- डा० (श्रीमती) शुचि (अध्यक्ष) एसो० प्रोफेसर, एम०ए०-गृह विज्ञान, पी-एच०डी०
- डा० (श्रीमती) बीना अग्रवाल, एसो० प्रोफेसर, एम०एस-सी०-गृह विज्ञान, पी-एच०डी०
- डा० (श्रीमती) ममता श्याम, एसो० प्रोफेसर, एम०एस-सी०-गृह विज्ञान, पी-एच०डी०

गणित विभाग

- डा० सुधीर कुमार (अध्यक्ष) एसो० प्रोफेसर, एम०एस-सी० - गणित, एम०फिल०, पी-एच०डी०
- डा० (श्रीमती) रिम्पल पुण्डीर, एम०एस-सी०-गणित, एम०फिल०, पी-एच०डी०
- रिक्त पद - 2

रसायन विभाग

- डा० अरविन पंवार (मानदेय शिक्षक), एम०एस-सी०-रसायन, पी-एच०डी०
- डा० संजय अरोडा (मानदेय शिक्षक), एम०एस-सी०-रसायन, पी-एच०डी०
- रिक्त पद - 10

सांख्यिकी विभाग

- रिक्त पद - 2

भौतिकी विभाग

- डा० (श्रीमती) नीलम सिन्हा (अध्यक्ष) एसो०प्रोफेसर, एम०एस-सी० (भौतिक), एम०फिल०, पी-एच०डी०
- डा० राजकुमार, एसो० प्रोफेसर, एम०एस-सी० (भौतिक), एम०फिल०, पी-एच०डी०
- रिक्त पद - 7

वनस्पति विज्ञान

- रिक्त पद - 3

जन्तु विज्ञान विभाग

- डा० शेखर चन्द (अध्यक्ष) असि० प्रोफेसर, एम०एस-सी०, पी-एच०डी०
- रिक्त पद - 4

विद्यराजननते कार्यालय

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. श्री अन्जुल भूषण (आशुलिपिक) | 5. श्रीमती प्रीति रानी शुक्ला |
| 2. श्री सुखपाल सिंह (कार्य. कार्यालय अधीक्षक) | 6. श्री अनुपम जैन |
| 3. श्री सुधीर कुमार बसल | 7. श्री शशाक कुमार अग्रवाल |
| 4. श्री धरनेन्द्र कुमार जैन (कार्य. सहायक लेखाकार) | |

पुस्तकालय

- डा. पुरुषोत्तम कुमार अग्रवाल
एसो० प्रो०, एम०लिब०एस-सी०, पी-एच०डी०
- श्री रविन्द्र सिंह
- श्री ईश्वर सिंह नेगी

प्रयोगशाला

- श्री हरेन्द्र कुमार सिंह
- श्री राहुल यादव
- श्री सचिन कुमार
- श्री नितीश गोयल

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्री वीर बहादुर	9. श्री प्रवीण कुमार—प्रथम	17. श्री प्रवीण कुमार—द्वितीय
2. श्री राज कुमार	10. श्री धर्मपाल सिंह	18. श्रीमती संदेश शर्मा
3. श्री सुरेन्द्र कुमार	11. श्री कुँवर पाल सिंह	19. श्री सुभाष कुमार
4. श्री विक्रम सिंह	12. श्री योगेन्द्र ठाकुर	20. श्री कृष्ण मुरारी मीणा
5. श्री रामू प्रसाद	13. श्री विजय कुमार	21. श्रीमती सुदेश
6. श्री राम सिंह	14. श्रीमती प्रभा	22. श्री दीपक कुमार
7. श्री आदेश कुमार	15. श्री नरेन्द्र कुमार	23. श्रीमती सरोज
8. श्री राकेश कुमार	16. श्री सोनू कुमार	24. श्री निशान्त

शिक्षकगण (स्ववित्त पोषित विभाग)

वाणिज्य विभाग

1. डा० (श्रीमती) बबीता गुप्ता, असि० प्रोफेसर, (पी—एच०डी०, एम०कॉम०, एम०बी०ए०, एम०ए०—अर्थशास्त्र)
2. श्री धीरज गिरधर, असि० प्रोफेसर, (एम०कॉम०, एम०फिल०, एल०एल०बी०)
3. डा० गौरव यादव, असि० प्रोफेसर (एम०कॉम०, पी—एच०डी०)
4. श्री अनुज, असि० प्रोफेसर (एम०कॉम०, नेट)
5. श्री विकास कुमार, असि० प्रोफेसर (एम०कॉम०)
6. श्री अभिषेक कुमार, असि० प्रोफेसर (एम०कॉम०)

एम०एस—सी० (फूड एण्ड न्यूट्रीशन)

1. श्रीमती मीनाक्षी भारद्वाज असि० प्रोफेसर, (एम०एस—सी०, नेट)
2. कु० अंजलि कश्यप, असि० प्रोफेसर (एम०एस—सी०, नेट)

एम०एस—सी० (कलोदिंग एण्ड टैक्सटाइल)

1. श्रीमती पवी सैनी, असि० प्रोफेसर (एम०एस—सी०, बी०एड०, नेट)
2. कु० अनुश्री, असि० प्रोफेसर (एम०एस—सी०)

बी०पी०एड०

1. डा० एस०एन० सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर—कम्पोजिट)
2. डा० नागेन्द्र (एसोसिएट प्रोफेसर)
3. डा० अंशुल शर्मा (असिस्टेंट प्रोफेसर)
4. श्री कुलदीप मालिक, (असिस्टेंट प्रोफेसर)
5. श्री विपिन कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)
6. श्री संदीप कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)
7. श्री नितिन कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)

कार्यालय

1. श्री राहुल मिश्रा
2. कु० सोनाक्षी
3. श्री अम्बरीश कुमार

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्री अजय कुमार
2. श्रीमती गीता
3. श्री रवि
4. श्री अरुण शर्मा



इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

IGNOU is a Central University Established by an Act of Parliament. Its Degrees/Diplomas/ Certificates are recognized by all members of the Association of Indian Universities (AIU) and are at par with Degrees/Diplomas/Certificates of all Indian Universities/ Deemed Universities/ Institutions vide U.G.C. Circular No. F. 1-8/92 (CPP) dated February 1992 and AIU Circular No. EVIB (449)/94/176915-177115 dated January, 1994.

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

प्रवेश सूचना

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के एसोडी० कॉलेज, मुजफ्फरनगर में स्थित अध्ययन केन्द्र (2749) में उच्च स्तरीय एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स जैसे अनेक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों के विषय में विस्तृत जानकारी, इग्नू की वेबसाईट www.ignou.ac.in पर तथा केन्द्र पर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। प्रवेश online होंगे। किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए भी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जा सकता है।

केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की सूची

डिग्री कोर्स (2/3 वर्ष)	डिप्लोमा कोर्स (1 वर्ष)	सर्टिफिकेट कोर्स (6 माह)
01. एम०बी०ए० (22 कोर्स) 1800/- (फार्म 1000/-) प्रति कोर्स	01. पी०जी० डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्युनिकेशन 4400/-	01. बी०पी०पी० (बिना इंटर किए बी०ए०/ बी०कॉम०/बी०टी०एस०/बी०एस०डब्ल० में प्रवेश के लिए) 1400/-
02. एम०कॉम० 6800/-	02. पी०जी० डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन 3800/-	02. सर्टिफिकेट इन इनफोरमेशन टैक्नालॉजी 4800/-
03. एम०ए० (हिन्दी 5600/-, अंग्रेजी 5600/-, झित्तास 5600/-, अर्थशास्त्र 7400/-, राज. विज्ञान 5600/-, लोक प्रशासन 5600/-, ग्रामीण विकास 5600/-, समाजशास्त्र 5600/-)	03. पी०जी० डिप्लोमा इन रुरल डवलपमैन्ट 2600/-	03. सर्टिफिकेट इन गाइडेन्स 1400/-
04. बी०ए० 2600/-	04. पी०जी० डिप्लोमा इन एनालाइटिकल कैमिस्ट्री 9800/-	04. सर्टिफिकेट इन न्यूट्रीशन एण्ड चाइल्ड केयर 1800/-
05. बी०कॉम० 2600/-	05. डिप्लोमा इन टूरिज्म 4400/-	05. सर्टिफिकेट इन टीचिंग ऑफ इंगलिश 2400/-
06. बी०एस-सी० 4400/-	06. डिप्लोमा इन न्यूट्रीशन एण्ड हैल्थ एजूकेशन 2600/-	06. सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज 1800/-
07. बी०टी०एस० (पर्यटन) 3200/-	07. डिप्लोमा इन क्रियेटिव राइटिंग इन इंग्लिश 3800/-	07. सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स 2400/-
08. बी०सी०ए० (कम्प्यूटर) 6 सत्र 6200/- प्रति सत्र	08. डिप्लोमा इन वुमेन्स एमपावरमैन्ट एण्ड डवलपमैन्ट 3800/-	09. सर्टिफिकेट इन टीचिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमैटिक्स 2000/-
09. बी०एस०डब्ल० 5000/-	09. डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमैन्ट 6200/-	11. सर्टिफिकेट इन रुरल डवलपमैन्ट 1800/-
10. बी०एल०आई०एस०(बी.लिब.) 6200/-		12. सर्टिफिकेट इन फूड एण्ड न्यूट्रीशन 1400/-
11. एम०एस०डब्ल० 16,400/-		13. सी.एल.आई.एस. 2000/-

Contact Number : 0131-2606644

IGNOU STUDY CENTRE (2749)

S.D. COLLEGE, MUZAFFARNAGAR

WORKING DAYS & HOURS

THURSDAY, FRIDAY AND SATURDAY : 03.00 P.M. TO 07.00 P.M.

SUNDAY : 09.00 A.M. TO 04.00 P.M.

नोट : जून एवं दिसम्बर माह में सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक सम्पर्क करें।

डॉ० विकास वर्मा

केन्द्र समन्वयक

डॉ० प्रवीण कुमार

सह समन्वयक